

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-8-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अगला, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य गरी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में दिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4844	एस०एच० मिश्र, अर्जुन अरि फार्मैसी विजेज-बान्पुर, पी०-सराय, स०-साहबजी, आजनगढ़।	डिप्लोमा इन फार्मैसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के इन्जी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा

से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर हासन द्वारा निर्गत विमो जाने वाले शसनादेश प्रभावी होंगे, और उद्युक्त कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (UPE) प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बन्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सौटी के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अभिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएँ यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वित्तिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाय धारण किया जाता है तथा वाय धार के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को अपनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आकाश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक मुद्रिमूर्ति, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रागत शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उद्युक्त वातावरण उपलब्ध करने के साथ ही सत्र सफल के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में अस्तित्व/संचालित पाठ्यक्रम को भत्ताये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, मुनि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है, तो तत्पश्चात् संस्था को सम्बद्धता सनाच किया जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुकसनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(का० आर०के० सिंह)
सचिव

पू०स०- प्राशिय/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक, ए०सी०के० मिश्रा, कोलज ऑफ फार्मसी, विलेज-बालपुर, पी०-ससय
पल्डू, तह०-तासगंज, आजमगढ़।

(का० आर०के० सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3097 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3097 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/माध्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को मद्-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

"ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये नये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये नये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3097 लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संख्या कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4844	एनएनके क्विज इंजीनियरिंग और फार्मेसी विभाग-बजयपुर गोरखपुर सरगं परसू, तहसील, जलपायन, आजमगढ़	डिप्लोमा इन फार्मेसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमपाली 1982 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क की अपेक्षा प्रत्येक/प्रति से अधिक किए जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क की सम्बन्ध में जनसूचना-समय पर सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रभावी कार्य, और तदनुसार

कार्यक्रम,

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संघटना।

संख्या:- प्राधिप/परिषद/संघटना/2021/3537

संयोजक: दिनांक:- 09/08/2021

कार्यालय आदि-

अधिन राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मैनी कन्वेंशन ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोमा स्तरीय (संघीय) शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन पत्रावधि जार के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की संघटना/संघटना विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- (08/08/2021) को परिषद कार्यालय में संघटना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अधिन नई संस्थाओं को संघटना पूर्ण से असामित संस्थाओं को संघटना विस्तार- पाठ्यक्रम प्रवेश समता सुद्धि सहित अन्य शर्त पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु संघटना/संघटना विस्तार प्रदान किने जाने का निर्णय किया गया।

संघटना समिति की बैठक में सिधे अने विधाय के अनुक्रम में विस्तार संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित शर्तों के अधिन पाठ्यक्रम एवं इसकी अधिन प्रवेश समता हेतु संघटना विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिंट्रेशन/रीजुलेशन/गीसी/आई/ए तथा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश समता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

संघटना हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एडमिंट्रेशन/रीजुलेशन/गीसी/आई/ए द्वारा विधायित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य विनियम विधाय एवं अर्देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विधायित शुल्क लेव शर्तों द्वारा पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो शर्तों कार्मैनी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो शर्तों पाठ्यक्रमों (दो शर्तों कार्मैनी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्ष में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में अग्र-वर्ष पर शासन द्वारा निर्देश किये जाने वाले शर्तों/संशोधन प्रस्तावों हेतु, और स्टुडन्ट कार्मैनी किये जाते आधारगत होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की तयकरारों पर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (5000 प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं एवं संघटना किये आना) विनियमवली-2000 की शर्तों पर अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के रिक्त हुए जारों की स्थिति में उत्तर प्रवेश समता के निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की शर्तों/शर्तों की जायेगी।
- ✓ संस्था की समस्त-समस्त पत्र निर्गत शासनादेश के अनुक्रम अधिनियम एवं संघटना शुल्क लेव करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिंट्रेशन/रीजुलेशन/गीसी/आई/ए से असामित उत्तर हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता आधारगत होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किये अने विधि/विधाय/अधिनियम/शासनादेश/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा किये अने नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के सिधे बाध्य होगी।
- ✓ विप्लोमा इन कार्मैनी पाठ्यक्रम की संस्था वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विप्लोमा में अनुमोदन प्राप्त करने में असामित होगी है जो इस संबंध में शासन/उत्तराधिकार संस्था का होगा और विधि/विधाय से किये अने शासनादेशों के सिधे संस्था द्वारा उत्तराधिकार होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई कर्त बाध्य किया जाता है तथा बाध्य था के संबंध में शा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की परिष्कृति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है जो समस्त परिष्कृति संबंधित संस्था को लागू होगी।
- ✓ विप्लोमा इन कार्मैनी पाठ्यक्रम संस्थागत करने वाली संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघटना द्वारा प्रत्येक वर्ष के सिधे आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कन्वेंशन/विधि/प्रवेश समता के पूर्ण शर्तों/आई/ए में अनुमोदन प्राप्त एवं परिषद कार्यालय को उपस्थित करता होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (कन्वेंशन/विधि/विधाय से असामित संस्था उत्तर प्रदेश शर्तों) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत शासनादेश/आदेश/निर्देशों का अनुपालन करना आधारगत होगा।
- ✓ संस्था को अपनी वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुद्धि सुद्धि, स्टाफ, शासनादेश, अग्र-वर्ष, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, अग्र-वर्ष शुल्क आदि का विवरण उपस्थित करवाये होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-परिचालन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैशिंग योजना के क्रमबद्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ साकारित पाठ्यक्रम को पत्रादे जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध करावे एवं अतिरिक्त, शूनि-सदन, फर्नीचर, आभूषण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में ध्यान दिया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का ध्यान किसी अन्य काम के लिए कर रही है तो आवश्यक संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति भी जायेगी।
- ✓ संस्था के वसतीभूत निरीक्षण दौरान यदि संस्था में शूनि, सदन, फर्नीचर/साज, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा (एचआई/सीडी/ईडी/पीएसी/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता जारी का अनुमोदन न किये जाने अथवा शर्त का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में शिक्षण/सदन अनुसंधान/संरचनात्मक कार्यवाही भी जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पू0स0- अधिन/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4869

दिनांक: 09/08/2021

परिशिष्ट :-

DR. S.K. MISHRA, COLLEGE OF PHARMACY, VILL- BALPUR, POST- SARAI PALTU, TEH- LALGANJ, AZAMGARH.


(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव